

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 3432] No. 3432] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3783(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 989(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2012 और का.आ. 1178(अ), दिनांक 16 मार्च, 2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार गुजरात उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा प्रधान न्यायाधीश, सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय, अहमदाबाद के न्यायालयों को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालयों के रूप में नामोदिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालयों का क्षेत्राधिकार पूरे गुजरात राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

5463 GI/2019 (1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2019

S.O. 3783(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 989(E), dated the 30th April, 2012 and S.O. 1178(E), dated the 16th March, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Gujarat, hereby designates the Court of Principal Judge, City Civil and Sessions Court, Ahmedabad and the Court of Additional Principal Judge, City Civil and Sessions Court, Ahmedabad as the Special Courts for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Courts mentioned above shall extend throughout the State of Gujarat.

[F. No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3784(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 1456(अ), दिनांक 25 जून, 2011 और का.आ. 2783(अ), दिनांक 23 नवम्बर 2012 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार बॉम्बे उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा उत्तरी गोवा में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेत् विशेष न्यायालय के रूप में नामोदिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे गोवा राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियुष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2019

S.O. 3784(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1456(E), dated the 25th June, 2011 and S.O. 2783(E), dated the 23rd November, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Bombay, hereby designates the Court of Sessions Judge at North Goa, as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Goa.

[F. No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.